[2][नियम 64. अन्तरिम पेन्शन जहां विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित है- (1) (क) नियम 9 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट शासकीय सेवक के सम्बन्ध में कार्यालय प्रमुख उतनी अनन्तिम पेन्शन प्राधिकृत करेगा जो उस अधिकतम पेन्शन के बराबर होगी जो शासकीय सेवक को सेवानिवृत्ति की तारीख तक की या यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलम्बित था तो उस तारीख, जिस तारीख को उसे निलम्बित किया गया था, के ठीक पूर्व की तारीख तक की अर्हकारी सेवा के आधार पर अनुज्ञेय हो।

(ख) सेवानिवृत्ति की तारीख से प्रारम्भ होकर उस तारीख तक तथा उस तारीख को सम्मिलित करते हुये जिसको कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ समाप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित किये जायें की कालावधि की अनन्तिम पेन्शन कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थापना वेतन देयक पर निकाली जायेगी और सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को भुगतान की जावेगी।

(ग) शासकीय सेवक को उपदान का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियाँ समाप्त न हो जायें और उस पर अन्तिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाये :

परन्तु जहाँ विभागीय कार्यवाहियाँ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 16 के अधीन उक्त नियमों के नियम 10 के खण्ड (एक), (दो) तथा (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपण करने के लिये संस्थित की गई है, वहां शासकीय सेवक को

1. Subs. by F.D. Notfn. No. F-9-11/2002/R/IV, dated 2-8-2003, effective from 1-10-2002.
2. नियम 64 वित्त विभाग, अधिसूचना क्र. एफ. बी. 6/8/89/नि-2/चार, 90, दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 द्वारा संशोधित।

नियमों के अधीन अनुज्ञेय उपदान का 90% तक अनन्तिम उपदान का भुगतान किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है।

(2) कार्यालय प्रमुख द्वारा अनन्तिम उपदान स्थापना वेतन देयक पर निकाला जायेगा तथा नियम के उपनियम (2) में वर्णित शोध्यों को समायोजित करने के पश्चात शासकीय सेवक को भुगतान का कार्यालय को सूचना के अधीन किया जायेगा। उपनियम (1) के अधीन अनन्तिम पेन्शन/उपदान का समायोजन ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति पर तब शासकीय सेवक को स्वीकृत अन्तिम पेन्शन/ से किया जायेगा, किन्तु उस स्थिति में कोई वसूली नहीं की जायेगी जहाँ अन्तिम रूप से स्वीकृत पेन्शन/ अनन्तिम पेन्शन/उपदान से कम है या जहाँ पेंशन/उपदान को या तो स्थायी रूप से या किसी नि कालावधि के लिये कम कर दिया गया हो या रोक दिया गया हो।

टिप्पणी–नियम 64 के अधीन अनन्तिम पेन्शन की मन्जूरी आज्ञापक है, भले ही विभागीय या अ कार्यवाहियाँ चालू हों।]

[1][64. **Provisional pension where departmental or judicial proceedings may be pending**- (1) (a) In respect of a Government servant referred to in sub-rule (1) of Rule 9, the Head of Office shall authorise the provisional pension equal to the maximum pension which would have been admissible on the basis of qualifying service up to the date of retirement of the Government servant, or if he was under suspension on the date of retirement up to the date immediately preceding the date on which he was placed under suspension.

(b) The provisional pension shall be drawn on establishment pay bill and paid to the retired Government servant by the Head of Office during the period commencing from the date of retirement up to and including the date on which after the conclusion of departmental or judicial proceedings, final orders are passed by the competent authority.

(c) No gratuity shall be paid to the Government servant until the conclusion of the departmental or judicial proceedings and issue of final orders thereon:

Provided that where departmental proceedings have been instituted under Rule 16 of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, for imposing any of the penalties specified in clauses (i), (ii) and (iii) of Rule 10 of the said rules, the payment of provisional gratuity to the extent of 90% of the gratuities admissible under the rules shall also be authorised to be paid to the Government servant.

(2) Provisional gratuity shall be drawn on establishment pay bill and paid to retired Government servant by the Head of Office after adjusting dues mentioned in sub-rule (2) of Rule 60, under intimation to Audit Office. Payment of provisional pension/gratuity made under sub-rule (1), shall be adjusted against final retirement benefits sanctioned to such Government servant upon conclusion of such proceedings, but no recovery shall be made where the pension/gratuity finally sanctioned is less than the provisional pension/gratuity or the pension/gratuity is reduced or withheld either permanently or for a specified period,.

NOTE- Grant of provisional pension under Rule 64 is mandatory even if departmental or judicial proceedings are continued.]